

भारत सरकार  
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय  
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग  
लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या 2296  
20 दिसंबर, 2022 को उत्तरार्थ

विषय: प्रति व्यक्ति आय

2296. डॉ.श्रीकांत एकनाथ शिंदे:

डॉ. हिना विजयकुमार गावीत:

डॉ. सुजय विखे पाटील:

श्री कृष्णपालसिंह यादव:

प्रो. रीता बहुगुणा जोशी:

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) कृषि क्षेत्र में कार्यरत लोगों की प्रति व्यक्ति आय कितनी है;
- (ख) क्या प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना देश में किसानों के स्तर को ऊपर उठाने में सफल रही है;
- (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (घ) विभिन्न राज्यों को निधियों के आवंटन और वितरण के लेखे-जोखे का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री  
(श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) ने कृषि वर्ष जुलाई 2018- जून 2019 के संदर्भ में एनएसएस 77वें दौर (जनवरी 2019-दिसंबर 2019) के दौरान देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि परिवारों का स्थिति आकलन सर्वेक्षण (एसएस) किया। एसएस के परिणाम के अनुसार, 2018-19 के दौरान प्रत्येक कृषि परिवार की औसत मासिक आय 10,218 रूपए है।

(ख) से (घ) प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसका कार्यान्वयन 1 दिसंबर, 2018 से किया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य देश भर में भू-धारक किसान परिवारों को, कतिपय अपवर्जन के अधीन, वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि उन्हें कृषि और संबद्ध गतिविधियों के साथ-साथ घरेलू आवश्यकताओं से संबंधित खर्चों

को पूरा करने में सक्षम बनाया जा सके। योजना के तहत प्रति वर्ष 6000/- रुपये की राशि 2000/- रुपये की तीन 4-मासिक किश्तों में सीधे किसानों के बैंक खातों में अंतरित की जाती है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र पीएम-किसान योजना के तहत लाभार्थियों की पहचान और सत्यापन करते हैं। लाभार्थी उस 4-मासिक अवधि से योजना का लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं, जिसमें वे योजना के तहत पंजीकृत हैं। पीएम-किसान पोर्टल पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त सत्यापित आंकड़ों के आधार पर प्रत्यक्ष लाभ अंतरण मोड के माध्यम से लाभार्थियों को लाभ अंतरित किया जाता है। राज्यों को निधियों का आवंटन/वितरण नहीं है। 14.12.2022 की स्थिति के अनुसार योजना के तहत विभिन्न किश्तों में लाभार्थियों को 2.2 लाख करोड़ रूपए से अधिक का वितरण किया गया है। पीएम-किसान के तहत जारी निधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है।

